महिलाएं भी जाने अपने अधिकार : प्रमोद सिंह

आज के समय में महिलाओं पर होते अत्याचार और महिला संबंधी अपराधों की संख्या को देखते हुए आज इस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करते हैं जाने-माने अधिवक्ता प्रमोद सिंह तोमर से जो मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में लगभग दो दशक से विधि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं एवं उच्चतम न्यायालय में भी रजिस्टर सदस्य है

प्रश्न : महिला संबंधी अपराध के बारे में कुछ बताइए एवं इसको रोकने के लिए कानून में क्या प्रावधान है?

उत्तर : सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि लैंगिक समानता और न्याय को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता के माध्यम से सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है। महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना दमखम दिखाया है। महिलाओं ने अपने हुनर का परचम हर तरफ लहराया है। मगर इन सब के बावजूद अब भी कई महिलाएं अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है।

मेरी राय में कुछ अधिकार जो प्रत्येक महिलाओं के लिए जानना बेहद जरूरी है एवं विभिन्न कानून भी बनाए गए है। कुछ ऐसे महिला संबंधी अधिकार है, जो प्रत्येक महिला को जानकारी में होना अत्यंत आवश्यक है।

1. समान वेतन पाने का अधिकार।
2. कार्यस्थल पर उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार।
3. घरेलू हिंसा के खिलाफ।
4. मातृत्व संबंधी लाभ का अधिकार।
5. दहेज के खिलाफ अधिकार।
6. वर्चुअल शिकायतें दर्ज करने का अधिकार।
7. स्टार्किंग के खिलाफ अधिकार।
8. पति या उसके नाते रिश्तेदारों द्वारा दहेज संबंधी उत्पीड़न/प्रताड़ना के विरुद्ध अधिकार।
9. पिता की सम्पत्ति पर बेटी का हक।

प्रश्न : क्या शादी के बाद महिलाओं को कुछ अधिकार और मिलते है?

उत्तर : शादीशुदा महिला को भारत का कानून कई अधिकार देता है। शादी के तुरंत बाद कुछ अधिकार ऑटोमेटिक मोड़ से ही बहू को मिल जाते हैं, लेकिन इनके बारे में जानकारी का आभाव है। अधिकतर महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति अनजान, उदासीन और लापरवाह होती है। शादी के फेरे होते ही और एक चुटकी सिंदूर मांग में पड़ते ही युवती का दर्जा बदल जाता है। उसकी पहचान बदल जाती है। पति की अद्धांगिनी बनने के साथ-साथ उसकी जिम्मेदारियों की लिस्ट भी बढ़ जाती है, लेकिन इन जिम्मेदारियों के साथ-साथ ही उसे कई तरह के अधिकार भी मिलते हैं।

प्रश्न : शादी के बाद महिला अपने पर हुए अत्याचारों या प्रताड़ना के संदर्भ में कहां रिपोर्ट कर सकती है?

उत्तर : 498-ए भा.द.वि. की शिकायत पीड़ित महिला द्वारा अपने मायके या अन्य स्थान जहां उसने आश्रय लिया है से कर सकती है। भले ही वहां ऐसी क्रूरता या आपराधिक घटना घटित न हुई हो। सामान्य नियम यह है कि किसी आपराधिक घटना की रिपोर्ट वहीं की जाती है जहां वह घटना घटित होती है। इस संदर्भ में रूपाली देवी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (2029)5 एससीसी 384 माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली का जजमेंट महत्वपूर्ण है।

प्रश्न : दुष्कर्म संबंधी मामलों में पीड़िताओं के क्या अधिकार है?

उत्तर : दुष्कर्म संबंधी केस में पीड़िता का नाम प्रिंट या पब्लिश करने पर दो साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। कानून के तहत दुष्कर्म पीड़िता के निवास, परिजनों, दोस्तों, विश्वविद्यालय या उससे जुड़े अन्य विवरण को भी उजागर नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न : महिलाओं द्वारा इन अपराधियों से कैसे बचा जा सकता है?

उत्तर : अपने अधिकारों के प्रति सजग एवं जागरूक रहकर महिलाओं द्वारा इस प्रकार के अपराध को रोका जा सकता है।